


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज 223 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 45/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00111) बअनवान जेनाराम व अन्य बनाम सोनाराम इत्यादि</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>11.02.2025</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र विद्रोल करने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत मामले में अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट्स के मध्य सामाजिक स्तर पर राजीनामा हो गया है। अपील हस्तगत अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा विद्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील जरिये विद्रो खारिज फरमायी जावे।</p> <p>जवाब में रेस्पोंडेंट्स अधिवक्ता ने अपील जरिये विद्रो खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।</p> <p>उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन है कि उभय पक्ष में सामाजिक स्तर पर राजीनामा हो चुका है, इसलिए अपीलांट हस्तगत अपील को जरिये विद्रो खारिज करवाना चाहता है। रेस्पोंडेंट्स अधिवक्ता द्वारा भी इस पर सहमति जतायी है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र विद्रोल करने अपील स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट जरिये विद्रो खारिज की जाती है।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति लौटायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दारिखल दफ़तर हो।</p> <p>आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  राजेश अपील प्राधिकारी राजेश अजीधपुराधिकारी जोधपुर </p>	